राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग

क्रमांक प.6(33)प्र.सु./अनुभाग–3/2019 दिनांक : 17/09/2019

–:आदेश:–

प्रस्तावित राजस्थान सामाजिक जवाबदेही बिल के प्रावधानों पर विचार–विमर्श कर इस कानून की प्रभावी क्रियान्वित हेतु व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से बिल का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन किया जाता है:–

क्र.स.	नाम	विवरण
1.	राम लुभाया आईएएस (सेवानिवृत्त)	अध्यक्ष
2.	सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
3.	आयुक्त एवं सचिव पंचायती राज	सदस्य
4.	निदेशक, लोक सेवाऐं	सदस्य
5.	निदेशक स्थानीय निकाय	सदस्य
6.	आयुक्त/निदेशक मनरेगा	सदस्य
7.	जिला कलेक्टर	सदस्य
8.	जिला कलेक्टर	सदस्य
9.	श्री निखिल डे सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
10.	सामाजिक संस्थानों के मनोनीत प्रतिनिधि – 2	सदस्य
11.	उप विधि प्रारूपकार विधि विभाग	सदस्य
12.	अतिरिक्त निदेशक, लोक सेवाऐं	सदस्य सचिव

समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों को परामर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

प्रस्तावित कानून की प्रभावी क्रियान्वित हेतु इसे अधिक से अधिक व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से समिति निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए बिल के प्रारूप को अंतिम रूप देगी :

1. राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान जनसुनवाई अधिनियम 2012 को लागू करने में आई बाधाओं का अध्ययन कर समाधान को प्रस्तावित कानून में सम्मिलित करना।
2. प्रस्तावित कानून की क्रियान्विति पर अतिरिक्त वित्तीय भार का आंकलन कर प्रस्तुत करना।
3. कानून की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध दंडनीय कार्यवाही के साथ–साथ निष्ठा पूर्वक एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण पर विचार।
4. हाल ही में अन्य राज्यों में लागू किए गए पारदर्शिता एवं जवाबदेही कानूनों यथा पंजाब जन सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही अधिनियम 2018, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 एवं मेघालय सामुदायिक भागीदारी एवं जन सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम, 2017 को लागू करने के अनुभव का अध्ययन कर बिल के प्रावधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

समिति का प्रशासनिक विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग होगा जो समिति के कार्य संपादन हेतु सचिवालय सहायता, परिवहन आदि की व्यवस्था करेगा। समिति के गैर सरकारी सदस्यों के कमेटी कार्य हेतु किए गए दौरो का भुगतान समकक्ष राजकीय अधिकारियों को देय टीए व डीए दर अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग के मद से किया जायेगा।

समिति यह कार्य 3 माह के अंदर सम्पन्न करेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

17.9.2019

(अरूण प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव
प्रशासनिक सुधार विभाग

Scanned by CamScanner